

अध्याय XI: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

11.1 परिहार्य व्यय

अपनी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी ने डब्ल्यूबीवीएटी के भुगतान से संबंधित संदेह होने के कारण बज बज पर एनआरएल से पीडीएस एसकेओ की खरीद पर ₹ 8.23 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) डब्ल्यूबीवीएटी की 4 प्रतिशत दर जिसे ग्राहको का पूर्ण रूप से बेचते समय देय डब्ल्यूबीवीएटी के प्रति सेल-ऑफ किया जा रहा था, पर भुगतान करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के राजबंध टर्मिनल से पीडीएस एसकेओ प्राप्त कर रही थी। पीडीएस एसकेओ पर डब्ल्यूबीवीएटी दर 01.09.2010 से प्रभावी के साथ 'शून्य' हो गई। इस समझ पर कि ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओएमसीज)¹ के बीच एसकेओ की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर डब्ल्यूबीवीएटी प्रभारित होगा पर, कम्पनी के स्थानीय प्रबंधन न विचार किया (अगस्त 2010) कि आईओसीएल से एसकेओ की प्राप्ति पर देय डब्ल्यूबीवीएटी छोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि पीडीएस एसकेओ पर डब्ल्यूबीवीएटी 'शून्य' हो गया था जिसके परिणामतः कम्पनी को कम-वसूली/हानि हो सकती थी। इसलिए, स्थानीय प्रबंधन ने उपरोक्त प्रत्याशित हानि से बचने के लिए बज बज में अपनी सहायक कम्पनी² नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) से एसकेओ प्राप्त करने का निर्णय लिया। करार के अनुसार, एनआरएल अपनी लागत पर रेलवे टैंक वैगन द्वारा बज बज में उत्पाद को सुपुर्द करेगा जहां से कम्पनी उत्पाद को टैंक ट्रक द्वारा अपने राजबंध डिपो में स्थानांतरित करेगी। इस अंतर-राज्य बिक्री पर एनआरएल द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर भी वहन किया जाएगा। यह प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त प्रबंधन के परिणामस्वरूप

¹ आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल

² बीपीसीएल ने एनआरएल में 61.65 प्रतिशत शेयर रखे (31.03.2012)

₹ 0.71 करोड़ प्रति माह की बचत होगी। कम्पनी ने उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सितम्बर 2010 से प्रभावी के साथ एनआरएल से एसकेओ प्राप्त करना आरम्भ किया।

उपरोक्त निर्णय उचित नहीं था क्योंकि कम्पनी ने आईओसीएल से एसकेओ की खरीद हेतु डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान नहीं किया तथा उपरोक्त व्यवस्था हेतु ऐसी प्रस्तावित बचत अनुपयुक्त थी। इसके अलावा, एनआरएल से राजबंध में उत्पाद के स्थानांतरण की उपरोक्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप भाड़े तथा सीएसटी की वसूली के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा में बताए जाने के पश्चात् (दिसम्बर 2011), कम्पनी ने उपरोक्त व्यवस्था को बन्द किया तथा जनवरी 2012 से राजबंध के आईओसीएल से एसकेओ लेने की अपनी पूर्व पद्धति को पुनः आरम्भ किया। इस बीच में, सितम्बर 2010 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान, एसकेओ के 36047 केएल को बज बज पर आईओसीएल से प्राप्त किया गया जिसके लिए अपनी सहायक कम्पनियों (एनआरएल) के साथ कंपनी ने ₹ 8.23 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन किया।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आईओसीएल से पीडीएस एसकेओ प्राप्त करने के लिए 12.5 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूबीवीएटी के भुगतान के संबंध में इसके विचार कम्पनी द्वारा 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान पश्चिम बंगाल में अन्य ओएमसीज को एसकेओ की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान न करने के लिए बिक्री कर प्राधिकारियों से मांग पर आधारित था। मंत्रालय ने भी कंपनी के मत की पुष्टि की है (फरवरी 2014)। कम्पनी/मंत्रालय का उपरोक्त विचार उचित नहीं था क्योंकि आईओसीएल (राजबंध टर्मिनल) से पीडीएस एसकेओ की प्राप्ति को पुनः आरम्भ करने के पश्चात्, कम्पनी को 12.5 प्रतिशत दर पर नहीं अपितु 'शून्य' दर पर डब्ल्यूबीवीएटी का भुगतान किया गया है।

कम्पनी ने आगे तर्क दिया कि एसकेओ की बिक्री के लिए एनआरएल इस पर निर्भर था तथा यदि कम्पनी ने बज बज पर एसकेओ लेने की इस व्यवस्था का सहारा नहीं लिया तो एनआरएल को भाड़े का वहन करना होगा तथा बज बज के समीप अन्य स्थान पर ऐसे एसकेओ की आपूर्ति करने के लिए सीएसटी की वसूली नहीं होगी। मंत्रालय भी उपरोक्त तर्क से सहमत हुआ (फरवरी 2014)। तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान, आईओसीएल असम में राज्य के बाहर से एसकेओ

लाया। एनआरएल द्वारा असम में आईओसीएल को एसकेओ की बिक्री के मामलें भी थे। इस प्रकार, एनआरएल बज बज पर बीपीसीएल को इसकी आपूर्ति के बावजूद असम में आईओसीएल को उक्त एसकेओ बेच सकता था।

इस प्रकार, बज बज पर एनआरएल से एसकेओ की अधिप्राप्ति के लिए निर्णय आर्थिक रूप से मितव्ययी नहीं था तथा अपनी सहयोगी कम्पनियों (एनआरएल) के साथ कंपनी को ₹ 8.23 करोड़ के परिहार्य व्यय का वहन करना पड़ा।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड

11.2 ऐसी संयुक्त उद्यम कम्पनियों के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों का स्टेटस पाने हेतु संयुक्त उद्यम में सरकारी कम्पनियों द्वारा नोवल वित्तपोषण दृष्टिकोण

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने दो निजी संयुक्त उद्यम कम्पनियों (जेवीसीज) को संवर्धित किया तथा मार्च 2004 से मार्च 2012 तक 'एप्लिकेशन मनी पैडिंग एलोटमेंट' तथा 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के रूप में ₹ 89.96 करोड़¹ (प्रत्येक को ₹ 44.98 करोड़) की निधि को निःशुल्क बढ़ाकर उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित किया। निजी जेवीसीज ने अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया था। इसका समापन एचपीसीएल तथा गेल द्वारा जेवीसीज को किसी ब्याज अथवा लाभांश की प्राप्ति के बिना अनुचित लाभ के विस्तार के रूप में हुआ क्योंकि जेवीसीज ने अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया था। मार्च 2004 से 28 फरवरी 2014 तक ऐसी निधियों पर एचपीसीएल तथा गेल के लिए ब्याज की परिहार्य हानि ₹ 66.49 करोड़² थी।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने (क) आंध्र प्रदेश तथा (ख) मध्य प्रदेश के क्रमशः शहरो तथा कस्बों में परिवहन, घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग हेतु पर्यावरण हितैषी ईंधनों (ग्रीन ईंधन³) के वितरण तथा विपणन के लिए दो संयुक्त उद्यम कम्पनियों (जेवीसीज) के गठन हेतु नवम्बर 2002 तथा नवम्बर 2005 में दो संयुक्त उद्यम करार (जेवीएज) किए।

¹ एचपीसीएल तथा गेल द्वारा प्रत्येक को ₹ 44.98 करोड़।

² एचपीसीएल को ₹ 33.23 करोड़ तथा गेल को ₹ 33.26 करोड़।

³ पीएनजी, सीएनजी तथा ऑटो एलपीजी

जेवीएज ने अनुबंधित किया कि दोनों जेवीसीज कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 617 के तहत परिकल्पित रूप में न तो सरकारी कम्पनी बनेगी और न ही वो कम्पनी बनेगी जिसके लिए अधिनियम की धारा 619बी के प्रावधान लागू होंगे। तदनुसार, दोनों निजी जेवीसीज के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल्स की एसोसिएशन (एमएवंओए) का गठन किया गया तथा भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल) तथा अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल) नामतः दो निजी जेवीसीज को क्रमशः 22 अगस्त 2003 तथा 07 जून 2006 को निगमित किया गया। जेवीसीज की पूंजीगत संरचना जेवीएज में परिकल्पित (नवम्बर 2002) के अनुसार थी तथा वास्तविक पूंजीगत संरचना जो प्रकट हुई (जुलाई 2013) वह निम्नानुसार थी:

जेवी का नाम	निगमन की तिथि	भागीदारों के नाम तथा करार के अनुसार उनका भाग		भागीदारों के नाम तथा उनका वास्तविक भाग	
		भागीदारों का नाम	शेयर	भागीदारों का नाम	शेयर
भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीए)	22 अगस्त 2003	एचपीसीएल एवं गेल	22.50 <i>प्रतिशत</i> प्रत्येक	एचपीसीएल एवं गेल	25 <i>प्रतिशत</i> प्रत्येक
		वित्तीय संस्थान/निजी पक्ष/सामान्य जन	50 <i>प्रतिशत</i>	मै. कर्कीदा सीपोर्ट लिमिटेड	50 <i>प्रतिशत</i>
		आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी)	5 <i>प्रतिशत</i>		
अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल)	07 जून 2006	एचपीसीएल एवं गेल	22.50 <i>प्रतिशत</i> प्रत्येक	एचपीसीएल एवं गेल	25 <i>प्रतिशत</i> प्रत्येक
		सामरिक निवेशक/सार्वजनिक/वित्तीय संस्थान	50 <i>प्रतिशत</i>	आईएल एवं एफसी इंवेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड	16.50 <i>प्रतिशत</i>
		मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी)	5 <i>प्रतिशत</i>	मै. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड	16.50 <i>प्रतिशत</i>
				मै. आईडीएफसी लिमिटेड	7 <i>प्रतिशत</i>
अन्य			10 <i>प्रतिशत</i>		

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

दोनों निजी जेवीसीज (अर्थात् बीजीएल तथा एजीएल) जिनमें से प्रत्येक में एचपीसीएल तथा गेल की संयुक्त रूप से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, को प्रत्येक की ₹ 5 लाख प्रदत्त पूँजी सहित सम्मिलित किया गया। एचपीसीएल तथा गेल ने प्रदत्त पूँजी की ओर प्रत्येक जेवीसीज में ₹ 1.25 लाख का योगदान दिया तथा बाद में, मार्च 2004 तथा 2012 की अवधि के दौरान 'धन लंबित आबंटन एप्लिकेशन' तथा 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' (दोनों को इसके आगे अग्रिम के रूप में संदर्भित किया गया) की ओर जेवीसीज में ₹ 89.96 करोड़* (प्रत्येक जेवी में ₹ 44.98 करोड़) तक निधियां नियत की। बीजीएल अथवा एजीएल द्वारा 28 फरवरी 2014 तक इन अग्रिमों की प्राप्ति के प्रति न तो कोई शेयर आंबटित किया गया तथा न ही शेयर प्रमाणपत्र जारी किया गया। फरवरी 2014 तक, इन अग्रिमों में कुछ नौ वर्ष पहले के थे जैसाकि नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

बीजीएल			एजीएल		
अग्रिम विस्तार की तिथि	इक्विटी के प्रति अग्रिम (₹ करोड़ में)		दिनांक	इक्विटी के प्रति अग्रिम (₹ करोड़ में)	
	एचपीसीएल	गेल		एचपीसीएल	गेल
1 मार्च 2004	4.98		29 नवम्बर 2006	2.00	
13 मार्च 2006	5.00		14 दिसम्बर 2007	11.50	
13 मई 2008	6.00		22 अगस्त 2009	8.99	
28 अक्टूबर 2009	5.00		18 मई 2007		2.00
25 फरवरी 2011	1.51		26 अक्टूबर 2007		11.50
31 जुलाई 2005 से पहले		4.98	18 अगस्त 2009		8.99
10 मार्च 2006		5.00			
03 अप्रैल 2008		7.50			
10 अगस्त 2009		5.01			
31 मार्च 2012		0.0025			
जोड़	22.49	22.49	जोड़	22.49	22.49

इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल ने 2011-12 के दौरान बीजीएल को ₹ 90 करोड़ का अंतरिम ऋण भी प्रदान किया।

* आवेदन धन लंबित आबंटन के रूप में ₹ 9.96 करोड़ सहित बीजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम ₹ 35.02 करोड़ तथा एजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिम की ओर ₹ 44.98 करोड़।

लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि:

- एचपीसीएल तथा गेल ने इक्विटी शेयर के आबंटन में विलम्ब के मामलों का अनुसरण नहीं किया तथा जेवीसीज (बीजीएल एवं एजीएल) के साथ प्रभावी रूप से अग्रिमों के प्रति आवश्यक शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, इन निजी जेवीसीज के लिए या तो 'धन लंबित आबंटन एप्लिकेशन' या 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' की ओर एचपीसीएल तथा गेल द्वारा ₹ 89.96 करोड़ की कुल राशि को फरवरी 2014 तक 2 से 9 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भुगतान की गई इक्विटी पूँजी में परिवर्तित नहीं किया गया था। इसने जेवीसीज को गैर-सरकारी कम्पनी के रूप में जारी रखने तथा सरकारी कम्पनियों अर्थात् एचपीसीएल तथा गेल द्वारा किसी ब्याज अथवा लाभांश का भुगतान किए बिना उनके निपटान पर नियत सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया।
- एचपीसीएल तथा गेल ने यह सुनिश्चित किए बिना इन जेवीसीज के अग्रिमों को बढ़ाया कि अन्य इक्विटी शेयरधारकों ने जेवीसीज के अन्दर इक्विटी पूँजी के बराबर अपने शेयर को भरा ताकि इन जेवीसीज के गठन के संबंध में एचपीसीएल तथा गेल बोर्ड तथा सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के विश्लेषण के उनके संबंधित एम एंड एओए के अनुसार, प्रत्येक जेवीसी की भुगतान की गई इक्विटी पूँजी में प्रत्येक भागीदार के शेयर को जारी रखा जाए। क्या एचपीसीएल अथवा गेल द्वारा प्रदत्त किए गए अग्रिमों को प्रदत्त पूँजी में परिवर्तित किया गया था। जेवीसीज को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के संदर्भ में सरकारी कम्पनियों में परिवर्तित किया जाएगा।
- 12 दिसम्बर 2003 से बीजीएल की प्राधिकृत पूँजी में ₹ 20 करोड़ तक वृद्धि हुई जो आगे 21 सितम्बर 2007 से ₹ 100 करोड़ तक बढ़ गई। तथापि, दिसम्बर 2003 तथा सितम्बर 2007 के बीच, एचपीसीएल बोर्ड बीजीएल के अन्दर ₹ 4.50 करोड़ (इसका स्वीकृत शेयर 22.50 प्रतिशत रहे) से अधिक न होने वाली इक्विटी पूँजी का निवेश करने तथा उस सीमा तक इक्विटी की ओर अंशदान हेतु पत्र द्वारा की गई कॉल के अधीन समाहित कर सकता है। यद्यपि, एचपीसीएल बोर्ड ने बीजीएल में ₹ 18.20 करोड़ निवेश को समाहित किया (28 जुलाई 2005), तथापि, उस तिथि तक उस सीमा तक के लिए अपनी इक्विटी के अन्दर निधियों के निवेश के लिए बीजीएल ने 'कॉल' नहीं की थी। सम्बद्धता से, बोर्ड के

इस समाधान को एचपीसीएल द्वारा (बोर्ड को किसी नए संदर्भ के बिना) बीजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिमों के विस्तार में यह सुनिश्चित किए बिना उपयोग किया गया कि अन्य सभी भागीदारों ने भी बीजीएल के एम एवं एओए तथा सभी सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के अनुसार बीजीएल की इक्विटी में उनके शेयर की प्रतिशतता बनाए रखने के लिए उनके बराबर शेयर में योगदान दिया।

- 07 जून 2006 को अपने समावेश से एजीएल की प्राधिकृत पूंजी ₹ 100 करोड़ थी। एचपीसीएल बोर्ड ने एजीएल की इक्विटी पूंजी में ₹ 22.50 करोड़ (इसके अधिकतम शेयर का 22.5 प्रतिशत) निवेश करने के लिए एक बार समाधान किया, (28 अक्टूबर 2005) तथापि इक्विटी के रूप में निधि निवेश करने के लिए एचपीसीएल पर मांग उस सीमा तक नहीं थी। इस मामले में भी, एचपीसीएल ने एजीएल को इक्विटी के प्रति अग्रिमों के विस्तार में बोर्ड के इस समाधान (बोर्ड को किसी नए संदर्भ के बिना) को यह सुनिश्चित किए बिना उपयोग किया कि अन्य सभी भागीदारों ने एजीएल के एम एंड एओए तथा सभी सहयोगी भागीदारों के बीच शेयरधारण करार के अनुसार उनके समान शेयर का सहयोग दिया।
- इस प्रकार, समाधान पारित होने के समय एचपीसीएल बोर्ड ने बीजीएल तथा एजीएल में निधियों के निवेश हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 के तहत अपनी शक्तियों का अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया क्योंकि उपरोक्त बिन्दु (iii) तथा (iv) में चर्चित रूप में उस सीमा तक उनकी इक्विटी पूंजी की ओर अंशदान हेतु बीजीएल तथा एजीएल से कोई कॉल नहीं थी। बोर्ड के इन समाधानों के परिणामस्वरूप अग्रिमों जिस पर एचपीसीएल ने फरवरी 2014 तक कम से कम 2 से 9 वर्षों हेतु कोई लाभांश (अग्रिम के इक्विटी के अन्दर परिवर्तित न होने के कारण) अथवा कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया, के माध्यम से निजी जेवीसीज के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

एचपीसीएल ने कहा (अगस्त 2013) कि:

- इक्विटी को 'इक्विटी के प्रति अग्रिम' के परिवर्तित न होने के संबंध में एजीएल को 12 जनवरी 2010, 13 अप्रैल 2011 तथा 19 अप्रैल 2012 को ईमेल तथा पत्र और बीजीएल को 06 जनवरी 2011, 04 फरवरी 2011, 11 फरवरी 2011 को ईमेल/पत्र भेजे गए; और

- बीजीएल तथा एजीएल पर इक्विटी सिन्डिकेशन प्रक्रिया को देश में गैस की कम उपलब्धता के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। जैसाकि बीजीएल तथा एजीएल हेतु एचपीसीएल तथा गेल के बीच हुए जेवीएज ने अनुबंधित किया कि बीजीएल तथा एजीएल एक जेवीसी की प्रत्येक विशेषता को बनाए रखें तथा एक सरकारी कम्पनी नहीं बनेंगे परन्तु इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में राशि में सहयोग देने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं बचा ताकि बीजीएल तथा एजीएल का सामान्य परिचालन जारी रहे।

निम्नलिखित के संदर्भ में एचपीसीएल के उत्तर की समीक्षा करने की आवश्यकता है:

- 'इक्विटी के प्रति अग्रिमों' के इक्विटी में परिवर्तित न होने के संदर्भ में बीजीएल तथा एजीएल प्रेषणों को एचपीसीएल द्वारा संभावित तिथि जिससे ये अग्रिम इक्विटी में परिवर्तित होंगे, के विषय में सूचना मांगने के लिए त्रैमासिक खातों के प्रमाणन के समय पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के कहने पर भेजा गया था। एचपीसीएल इक्विटी को निरंतर अतिरिक्त अग्रिम का भुगतान करती रही, हालांकि महत्वपूर्ण अग्रिम परिवर्तन हेतु शेष रहा।
- एचपीसीएल एवं जीएआईएल द्वारा प्रवर्तित निजी जेवीसी द्वारा अग्रिमों का इक्विटी में गैर-परिवर्तन जेवीसी को सरकारी कम्पनियों को बिना लाभांश अथवा ब्याज चुकाएं सार्वजनिक निधियों के उपयोग के लिए सक्षम करता है और निरंतर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के दण्ड मुक्त सार्वजनिक निधियों का उपयोग करते हुए निजी कम्पनियों के पद का उपयोग करता है।
- इक्विटी सिन्डिकेशन प्रक्रिया का लंबित समापन उनकी परिचालन आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु दो जेवीसी के निधियन का दायित्व सभी शेयरधारकों पर सुपुर्द होता है। अतः एचपीसीएल और जीएआईएल को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि अन्य भागीदारों ने भी उनके शेयर के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों को विस्तारित किया है।

इस प्रकार, दो निजी क्षेत्र जेवीसी (अर्थात बीजीएल और एजीएल) की परियोजनाएं एचपीसीएल और जीएआईएल द्वारा सभी सहायक भागीदारों द्वारा सुमेलन इक्विटी सम्मिश्रण सुनिश्चित किए बिना 'आवेदन राशि लंबित आवंटन' और 'इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम' के रूप में सार्वजनिक निधियों के विस्तारण द्वारा वित्तपोषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, (₹ 89.96 करोड़) के परिणामी अवरोध के साथ इन जेवीसी को ब्याज-

मुक्त निधियों के अनुचित लाभ के विस्तारण और एचपीसीएल और जीएआईएल को 28 फरवरी 2014 तक (₹ 66.49 करोड़*) का परिहार्य ब्याज हानि हुई थी। जब तक इस प्रकार के अग्रिम प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तित अथवा जेवीसी द्वारा एचपीसीएल और जीएआईएल को लौटाए नहीं जाते, तब तक निजी जेवीसी को अनुचित लाभ एवं ब्याज की परिणामी हानि निरंतर होती रहेगी।

एचपीसीएल के संदर्भ में मामले की दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचना दी गई थी; उत्तर (मार्च 2014) को प्रतीक्षित था। यह मामला (मार्च 2014) में गेल को भी भेजा गया था और उत्तर अभी (मार्च 2014) प्रतीक्षित था।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.3 अनुबंध शर्तों में छूट के कारण अतिरिक्त लागत

अनुबंध शर्तों में छूट का उद्देश्य, जो कि कैप्टिव पावर प्लांट के सामयिक समापन को सुनिश्चित करना था, पूरा नहीं हुआ और ₹ 194.10 करोड़ की अतिरिक्त लागत लगी थी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) पारादीप, उड़ीसा (पीडीआरपी) में एक 15 एमएमटीपीए आधारभूत रिफाइनरी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु, एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय (मई 2009) लिया गया था और मै. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को सीपीपी के लिए नामांकन आधार पर चयनित किया गया था। बीएचईएल को सीपीपी के विन्यास के लिए सूचित किया गया था (जुलाई 2009) और चालू करने का अंतिम लक्ष्य जनवरी 2012 निर्धारित किया गया था।

बीएचईएल ने कहा है कि नियत कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सभी प्रयास एवं प्रयत्न किए जायेंगे। यह भी कहा गया कि तथापि इसे उप-विक्रेताओं को बड़ी वित्तीय वचन बद्धताएं देनी होंगी। बीएचईएल को सीपीपी के कार्यान्वयन के लिए उप-विक्रेताओं को आंतरिक आदेश देने हेतु सक्षम बनाने के लिए ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ का तदर्थ अग्रिम दिया गया था (अगस्त 2009)। 31 जुलाई 2009 को सीपीपी के लिए सामान्य संविदा

* 2002 से 2013 तक की अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत लागू की गई है (ब्याज की औसत नकद श्रण दर पर)

शर्तों (जीसीसी) समाविष्ट निविदा दस्तावेज़ बीएचईएल को जारी किया गया था। बीएचईएल ने सितम्बर 2009 से नवम्बर 2009 के दौरान बोली दस्तावेज़ चार भागों में प्रस्तुत किए थे और जीसीसी से निम्न मुख्य विचलनों की मांग की थी (जनवरी 2010):

- कम्पनी द्वारा पहले से दिया गया ₹ 120 करोड़ का तदर्थ अग्रिम बीजी के विरुद्ध ब्याज मुक्त संघटित अग्रिम में परिवर्तित किया जाए। जीसीसी के खंड 8.2.1 के अनुसार संघटित अग्रिम सब्याज होना चाहिए।
- जीसीसी के क्लॉज़ 4.4.2.0 (xxi) के विरुद्ध यांत्रिक समापन में देरी की दशा में संविदा मूल्य का अधिकतम पांच प्रतिशत घटाया जाए, जिसमें निर्धारित किया गया था कि, यांत्रिक समापन में विलम्ब की दशा में, कम्पनी हासिल कार्यों में छूट द्वारा मूल्य समायोजन हेतु दर हफ्ते संविदा के मूल्य के आधे प्रतिशत पर अधिकृत थी और कटौती किसी भी दशा में संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बीएचईएल की मांगे मान ली गईं और सीपीपी को ठेका (फरवरी 2010) बीएचईएल को इस स्पष्टीकरण के साथ, कि कम्पनी के पास इस चरण पर कोई अन्य विकल्प नहीं था, ₹ 3,348.30 करोड़ (परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार किए गए लागत के अनुमान से 17.41 प्रतिशत अधिक) पर दिया गया। कम्पनी ने कहा कि (अक्टूबर 2013) क्योंकि बीएचईएल द्वारा नामांकन आधार पर सीपीपी लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा पहले ही ले लिया गया था, यह महसूस किया गया कि विचलनों के लिए आपसी समझौता इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र विकल्प था, अन्यथा सम्पूर्ण पीडीआरपी परियोजना कार्यक्रम को संकट में डालने का जोखिम था।

दिए गए ठेके के अनुसार, सीपीपी का चरण-1 (एक जीटीजी और एचआरएसजी) का समापन सितम्बर 2011 को और पूर्ण समापन नवम्बर 2012 को निर्धारित था।

सीपीपी परियोजना के लिए हासिल की गई संचयी प्रगति (सितम्बर 2011) (चरण-1 का निर्धारित समापन का महीना) तक केवल 11.8 प्रतिशत थी। बीएचईएल ने सितम्बर 2011 में निर्धारित समापन के प्रति 20 महीने की देरी से एक जीटीजी और एचआरएसजी (सीपीपी का चरण-1) क्रमशः जुलाई 2012 और मई 2013 में तैयार किया। नवम्बर 2012

के निर्धारित समापन के प्रति बीएचईएल द्वारा कुल यांत्रिक समापन की प्रतिबद्धता नवम्बर 2013 से जून 2014 थी।

लेखापरीक्षा में जांच में यह पाया गया कि, एक ओर तो कंपनी ने कहा है कि सीपीपी परियोजना को अंतिम रूप देने में देरी करने से सम्पूर्ण पीडीआरपी परियोजना कार्यक्रम को संकट में डालने का जोखिम था, और दूसरी ओर कम्पनी ने उस विशिष्ट शर्त में, जो कि काम की सामयिक समाप्तिको सुनिश्चित करने के लिए थी, ढील दी अधिकतम कटौती, जो कि समापन में देरी की दशा में की जा सकती थी, को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके। इसके बाद, परियोजना के एक विशेष समय से परे देरी की दशा में कम्पनी लामबंदी अग्रिम पर ब्याज लगाने के लिए समझौते में एक क्लॉज डालने में भी असफल रही। इस प्रकार, इस संविदा को नामांकन आधार पर निर्धारित से उच्चतम मूल्य पर देने का उद्देश्य परास्त हो गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि बीएचईएल को बिना विचलन वाणिज्यिक शर्तों को स्वीकारने हेतु मनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, किंतु समय बीत रहा था और सीपीपी के कार्य आदेश के जारी करने में देरी हो रही थी। इसके अलावा, बीएचईएल को औपचारिक आदेश जारी होने से पूर्व सीपीपी का कार्य आरंभ करने के लिए सक्षम करने के लिए, बीएचईएल के आग्रह पर अधिकतम मूल्य कटौती को 5 प्रतिशत तक घटाने और ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ के तदर्थ लामबंदी अग्रिम को स्वीकार लिया गया था।

उत्तर को इस तर्क के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि सीपीपी के सामयिक प्रारंभ को सुनिश्चित करने के लिए विचलनों के बावजूद, कम्पनी उसे हासिल नहीं कर सकी।

इसे ब्याज मुक्त ₹ 120 करोड़ के तदर्थ अग्रिम के विस्तारण के कारण ₹ 26.68 करोड़ की हानि हुई (सितम्बर 2009 से सितम्बर 2010 की अवधि के लिए ₹ 120 करोड़ पर और अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक 8 प्रतिशत की दर से हास शेष पर परिकलित किया गया था। अग्रिम की असमायोजित राशि ₹ 80.45 करोड़ (मार्च 2013) थी।

यदि कम्पनी ने यांत्रिक समापन में देरी की दशा में, 5 प्रतिशत के ब्याज संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्य की कटौती की, यह बीएचईएल से ₹ 334.83 करोड़ वसूल सकती

थी। तथापि, रियायत शर्त के अनुसार, अधिकतम राशि जो कम्पनी वसूल सकती है केवल ₹ 167.42 करोड़ होगी।

कथित रियायतों पर अतिरिक्त लागत ₹ 194.10 करोड़ (₹ 26.68 करोड़ + ₹ 167.42 करोड़) थी। बीएचइएल को निर्धारित से उच्चतर मूल्य पर नामांकन आधार पर ठेका देने का सीपीपी के सामयिक समापन का मूल उद्देश्य अधूरा रह गया।

यह मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.4 बिक्री प्रतिफल की कम वसूली

दिशानिर्देशित मूल्य के नीचे भूमि की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 25.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

तमिलनाडु सरकार ने एलपीजी बौट्लिंग प्लांट की स्थापना करने हेतु 1996 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के लिए इन्नौर (चेन्नै) में 153.20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। कम्पनी ने 2001 में 40 एकड़ भूमि पर प्लांट स्थापित किया।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने अगस्त 2007 में इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड (आईपीपीएल), आईओसीएल और मलेशिया की पेट्रोनास की एक संयुक्त काश्तकार कम्पनी को आयात/निर्यात टर्मिनल परियोजना स्थापित करने के लिए अधिशेष भूमि (लगभग 110 एकड़) सौंपने हेतु “सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन” प्रदान किया। आईपीपीएल द्वारा आयात टर्मिनल के निर्माण हेतु कम्पनी के शेयर की ओर 31 मार्च 2013 तक ₹ 134 करोड़ का इक्विटी योगदान किया गया, कम्पनी के इक्विटी के 50% शेयर के प्रति भूमि के बाजार मूल्य के समायोजन किया गया। भूमि के मूल्यांकन के लिए कम्पनी ने गुरु कन्सल्टेंट और कैप्टन कालियामूर्ति नाम के सरकार द्वारा अनुमोदित दो मूल्य-निर्धारक नियुक्त किए।

गुरु कन्सल्टेंट ने (अक्टूबर 2007) लगभग 110 एकड़ भूमि का मूल्य मौजूदा परिसर की दीवार सहित ₹ 32.14 करोड़ लगाया और कैप्टन कालियामूर्ति ने (जून 2008) उसी भूमि का मूल्य उसके गुण और अवगुण ध्यान में रखते हुए ₹ 34.31 करोड़ लगाया।

बीओडी के अनुमोदन (जनवरी 2009) के पश्चात् कम्पनी ने इसकी अधिशेष 110 एकड़ भूमि आईपीएल को (जून 2009) ₹ 34.31 करोड़ में बेची। कम्पनी ने (अप्रैल 2010) आईपीएल में ₹ 268 करोड़ की कुल इक्विटी पूँजी के 50 प्रतिशत होने के नाते ₹ 134 करोड़ अभिदत्त किए, बाकि कीमत आंशिक रूप से 110 एकड़ भूमि के मूल्य जो कि ₹ 34.31 करोड़ था और शेष राशि जो कि ₹ 99.69 करोड़ थी नकद में अदा करी।

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि:

- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 44-ए के अनुसार, कोई भी कम्पनी जिसके लिए कोई भूमि इस भाग के तहत अधिकृत की गई हो, उस भूमि या उसके किसी भी भाग को बिक्री, गिरवी, उपहार, पट्टे पर देना बिना उपयुक्त सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी के अलावा किसी तरीके से भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकती। कम्पनी ने अधिशेष भूमि की बिक्री हेतु राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।
- बीओडी परियोजना की संशोधित लागत पर विचार करने के दौरान, निर्देश (दिसम्बर 2008) दिया कि चूँकि पहला अनुमान अगस्त 2008 में लगाया गया था, बाजार में गतिशीलता में बदलाव को देखते हुए भूमि के मूल्यांकन की गंभीरता से समीक्षा की आवश्यकता है।
- दूसरे मूल्य निर्धारण द्वारा अपनाये गये भूमि का मूल्य (जो कि स्वीकृत था) अगस्त 2007 में प्रचलित निर्देशित मूल्य पर आधारित था और लगभग 20 महीने की अवधि बिक्री कार्य के निष्पादन से पूर्व बीत चुकी थी। जून 2009 में बिक्री के समय भूमि का निर्देशित मूल्य ₹ 59.55 करोड़ था। तथापि, बिक्री प्रतिफल केवल ₹ 34.31 करोड़ था, जो कि द्वितीय मूल्य निर्धारक द्वारा निर्धारित था और जेवी में इक्विटी निवेश के अनुमोदन करते समय बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, वर्तमान निर्देशित मूल्य की समीक्षा न करके, कम्पनी ने ₹ 25.24 करोड़ के अतिरिक्त बिक्री प्रतिफल पर बिक्री करने का अवसर खो दिया। उस प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट वेंचर पार्टनर को ₹ 12.62 करोड़ का अनुचित लाभ भी था।

कम्पनी ने कहा कि (अगस्त 2013) (क) भूमि की बिक्री का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य हेतु हो रहा था जिसके लिए यह राज्य सरकार से उपार्जित की गई थी (ख) दूसरे मूल्य निर्धारक ने भूमि का

मूल्यांकन ₹ 30 लाख प्रति एकड़ लगाया था जो कि दोनों मूल्य निर्धारकों में से अधिक था, को स्वीकृत किया गया था।

कम्पनी का उत्तर निम्न के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार कम्पनी को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था, जो कंपनी ने प्राप्त नहीं करी।
- कम्पनी दूसरे मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट पर निर्भर थी जो कि अगस्त 2007 में प्रचलित भूमि के निर्देशित मूल्य पर आधारित था। बिक्री के समय पर (जून 2009) निर्देशित मूल्य ₹ 59.55 करोड़ था। कम्पनी ने ₹ 59.55 करोड़ के बिक्री प्रतिफल की मांग क्यों नहीं कि के कारण, आगामी नहीं थे।

इस प्रकार कम्पनी ने उस भूमि को बेचा जिसमें इसके ₹ 25.24 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व कमाने का अवसर खो दिया था, जिसका मूल्य बिक्री के समय निर्देशित मूल्य के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रक्रिया में कम्पनी ने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट वेचर पार्टनर की ₹ 12.62¹ करोड़ का अनुचित लाभ विस्तारित किया।

यह मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2013 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.5 उत्पाद की अमितव्ययी संचलन के कारण हानि

एचएसडी के अमितव्ययी संचलन के कारण कम्पनी की ₹ 5.03 करोड़ की हानि हुई

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (बीवीएटी) की धारा 13(2)(क) विभागीय अधिसूचना सं. एस.ओ. 43 दिनांक 4 मई 2006 के साथ पठित के अनुसार मूल्य वर्धित कर तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा व्यापारी या सीधे उपभोक्ताओं को इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री के समय हाई स्पीड डीज़ल ऑयल (एचएसडी) पर लगाया जाता है। तथापि, इस प्रकार का कोई भी वैट तेल कम्पनियों के बीच इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री पर नहीं लगाया जाता। बिहार प्रवेश कर अधिनियम 1993² के अनुसार, प्रवेश कर बिहार में

¹ (₹ 59.55 करोड़ - ₹ 34.31 करोड़) * 50/100

² स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग या बिक्री आदि हेतु माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1953

बाहर के राज्य से प्रवेश कर रहे विशिष्ट माल पर देय है एवं इस प्रकार का प्रवेश कर बीवीएटी के तहत माल की बिक्री से उत्पन्न वैट देयता के विरुद्ध निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार एक तेल कम्पनी द्वारा दूसरी/अन्य तेल कम्पनी को बिहार के बाहर से लाकर एचएसडी बेच जाने की दशा में विक्रेता द्वारा देय प्रवेश कर समंजन की कोई गुंजाइश नहीं है।

अगस्त 2011 के दौरान, इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने अन्य तेल कम्पनियों¹ को इसके पटना टर्मिनल से 26618 केएल एचएसडी बेचा जिसमें 9360 केएल बिहार के बाहर जोकि हल्दिया पश्चिम बंगाल से लाया गया था जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 5.37 करोड़ का बिहार प्रवेश कर भुगतान किया। जैसेकि अन्य तेल कम्पनियों को 26618 केएल के एचएसडी की बिक्री पर कोई वैट आरोप्य नहीं था, ₹ 5.37 करोड़ के उपरोक्त प्रवेश कर का कम्पनी द्वारा समंजन नहीं हो सका। यह भी देखा गया कि कम्पनी के पास इसके बिहार में स्थित बरौनी विपणन टर्मिनल पर एचएसडी का पर्याप्त स्टॉक था जहां से यहां तक कि ₹ 0.34² करोड़ की परिवहन लागत वसूल कर भी पटना में स्थित अन्य तेल कम्पनियों को 9360 केएल एचएसडी की आपूर्ति की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कम्पनी अतिरिक्त परिवहन लागत अवशोषित करने के बाद भी ₹ 5.03 करोड़ (₹ 5.37 करोड़ - ₹ 0.34 करोड़) बचा सकती थी।

कम्पनी ने कहा कि (नवम्बर 2013) पटना स्थित बरौनी उदगम में एचएसडी के स्टॉक में कमी थी और पटना में उपलब्ध एचएसडी को अन्य ओएमसी में उदगम की परवाह किए बिना आपूर्ति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है जैसाकि अगस्त 2011 के पूरे महीने बरौनी विपणन टर्मिनल पर एचएसडी का पर्याप्त स्टॉक था जहां से 9306 के एल एचएसडी पटना में अन्य तेल कम्पनियों को उपलब्ध कराया जा सकता था। कम्पनी ने आगे यह तर्क दिया कि अनुबंधित टैंक ट्रक के अभाव में बरौनी से पटना एचएसडी की सड़क संचलन नहीं हो सकती थी। उत्पाद आवागमन में

¹ 20522 के एल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 6096 (केएल) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को।

² पटना और बरेली के बीच सहक परिवहन खर्च (2 x 107 कि.मी. x 9360 के एल x 1.6950 प्रति के एल प्रति कि.मी. ₹ 33.95 लाख)

अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यह भी स्वीकार्य नहीं था कि कम्पनी एचएसडी के सड़क परिवहन की व्यवस्था कर सकती थी और ₹ 5.03 करोड़ की हानि से बच जाती।

इस प्रकार, उत्पाद के अभितव्यथी संचलन के कारण, कम्पनी को ₹ 5.03 करोड़ की हानि हुई।

यह मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

11.6 दोषयुक्त अधिप्राप्ति प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने विक्रेताओं पर दायित्वों को पूरा करने की उनकी वित्तीय साख और क्षमता पर विचार किए बिना दुबारा आदेश दिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दो वर्ष का अधिक समय लगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी शुरू करने हेतु, खरीद आदेशों को सुचारु, प्रभावी और कुशलतापूर्वक जारी करने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया (जून 2009) का एक विशेष सेट का गठन किया। इस अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मास्टर सप्लायर लिस्ट (एमएसएल) को कम्पनी द्वारा पूर्व परियोजना के संदर्भ में विक्रेता के साथ अनुभव के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था। अनुमोदित एमएसएल में शामिल सभी आपूर्तिकर्ता, बिना शॉप सर्वे अथवा मूल्यांकन के, वस्तु के लिए योग्य समझे जाने थे।

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि आदेश देने के लिए वित्तीय साख और विक्रेताओं के हाथ में समवर्ती आदेशों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद, एमएसएल को अंतिम रूप देने के दौरान, प्रत्येक विक्रेता के प्रति आदेशों के बंचिंग से बचने हेतु, आदेश देने के लिए कोई मौद्रिक सीमा निश्चित नहीं की गई थी। कम्पनी ने बिना वित्तीय साख एवं आपूर्ती दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन किए बिना उन्हीं विक्रेताओं को दोबारा आदेश दिए जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय के साथ-साथ महत्वपूर्ण अधिक समय लगा:

एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर (एसीएचइ) की अधिप्राप्ति हेतु, जून 2009 में 10 विक्रेताओं वाली एमएसएल को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदित एमएसएल में सभी विक्रेताओं से (जुलाई 2009) सीमित निविदाओं को आमंत्रित किया गया। जॉर्ड इंजीनियर इंडिया

लिमिटेड (जेईआईएल) दस विक्रेताओं में से एक थी जिसकी निवल सम्पत्ति 2006-07 से आगे नकारात्मक थी।

तकनीकी आवश्यकताओं की स्वीकृति और जेईआईएल द्वारा न्यूनतम बोली के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ₹ 23,63 करोड़ के मूल्य का 28 अप्रैल 2010 को आठ एसीएचई की आपूर्ति हेतु स्वीकृति का फैक्स (एफओए) जारी किया गया। 12 मई 2010 तक जेईआईएल को सात एसीएचई के लिए ₹ 5.69 करोड़ मूल्य के तीन और एफओए जारी किए गए।

एफओए की शर्तों के अनुसार, खरीद आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) एफओए से 45 दिनों के भीतर जेईआईएल द्वारा प्रस्तुत की जानी थी और 9 से 13 महीनों में माल सुपुर्द करना था। इसके बाद 4 से 6 हफ्तों में आरेखण भी प्रस्तुत करने थे। तथापि जेईआईएल पीबीजी को प्रस्तुत करने में विफल रहा और सभी खरीद आदेशों के संदर्भ में आरेखणों को प्रस्तुत करने में देरी की।

पीबीजी और आरेखणों की प्रस्तुति में जेईआईएल की विफलता के बावजूद, आठ एसीएचई के लिए ₹ 24.49 करोड़ मूल्य के तीन और खरीद आदेश सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान जेईआईएल को दिए गए। कोड 2* के तहत जेईआईएल के आरेखण सितम्बर 2011 में अनुमोदित किए गए अर्थात् पहले चार आदेशों की सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद। जेईआईएल ने वित्तीय बाधाएं जाहिर की और भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की (अक्तुबर 2011)। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और निम्नांकित अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर सहमति हुई:

- खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार, एफओए से 45 दिनों के भीतर के बजाय 10 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के दौरान जेईआईएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण।
- दस्तावेजों के प्रेषण के प्रति आदेश मूल्य के 80 प्रतिशत हेतु साख पत्र (एलसी) द्वारा यथानुपात भुगतान करना।

* उत्पादन गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए कोड 2 के तहत आरेखणों का अनुमोदन पर्याप्त समझा गया।

- नई बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण की जगह कम्पनी की गुजरात रिफाइनरी के खरीद आदेश के लिए वर्तमान बैंक गारंटी के प्रति आरेखणों के अनुमादन पर ₹ 2.69 करोड़ का अग्रिम (नवम्बर 2011) दिया गया।

इस वित्तीय सहायता के बाद भी जेइआईएल एसीएचई को सम्पूर्ण रूप में वितरित करने में विफल रही और केवल 42 पंखों की आपूर्ति की, जो कि केवल खरीदे गई वस्तुएं थीं। तदनुसार, कम्पनी ने जेइआईएल परिसर में उपलब्ध सामग्री और इसके कार्यान्वित करने के आदेशों की सक्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात शेष सामग्री के लिए सभी आदेशों को ऑफलोड करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने इसके निदेशक मंडल को यह बता दिया कि (सितम्बर 2012) अतिरिक्त व्यय की वसूली की संभावनाएं निराशाजनक हैं; हालांकि जेइआईएल की कीमत और जोखिम पर नये आदेश दिए जाने थे। शेष कार्य की पुनः निविदा की गई और अन्त में मूल आदेशों से ₹ 21.75 करोड़ तक उच्चतर मूल्य पर (अक्टूबर से दिसम्बर 2012) दिया गया। कम्पनी ने जेइआईएल पर ₹ 33.46 करोड़ का दावा किया (पर्यवेक्षण की लागत और आईओसीएल द्वारा तृतीय पक्ष विक्रेताओं को मुफ्त निर्गम सामग्री की लागत सहित)। ₹ 9.44 लाख मूल्य के दो चालानों के प्रति भुगतान नहीं किया गया था और कम्पनी द्वारा (नवम्बर 2012) ₹ 2.69 करोड़ की बैंक गारंटी भुनाई गई थी।

जेइआईएल के साथ इसके खराब अनुभव के बावजूद, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर की शेष सामग्री की पुनः निविदा करने पर, जनवरी 2010 से जनवरी 2011 के दौरान सभी तरह खरीद आदेशों के संदर्भ में उनके खराब निष्पादन पर विचार किए बिना कम्पनी ने 14 एसीएचइएस के लिए (जेइआईएल को आदेश दिए गए 23 एसीएचईज में से) जीइआई इंडस्ट्रियल सिस्टम लिमिटेड (जीइआईआईएसएल) पर ₹ 50.96 करोड़ मूल्य के (अक्टूबर 2012) तीन आदेश दिए। संविदात्मक सुपुर्दगी की तारीख से 10 से 18 महीने बीत जाने के बावजूद ₹ 47.46 करोड़ के मूल्य के सात पीओ अगस्त 2012 में सुपुर्दगी हेतु लंबित थे। क्योंकि वित्तीय कमी के कारण जीइआईआईएसआईएल नये आदेशों के संबंध में सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाया वित्तीय सहायता यथा खरीद आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत का तदर्थ अग्रिम, एफओए से 45 दिन के भीतर के बजाय 10 प्रतिशत अंतिम भुगतान करने के पूर्व निष्पादन बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण और सह-विक्रेताओं को प्रत्यक्ष भुगतान उन्हें दी गई। तब भी दिसम्बर 2013 तक किसी भी खरीद आदेश के

प्रति जीइआईआईएसआई ने पूर्ण सामग्री की आपूर्ति नहीं की हालांकि निर्धारित सुपर्दगी अवधि मार्च 2013 से जून 2013 तक थी।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2014) कि-

- समवर्ती आदेशों और कम्पनी में मौद्रिक अधिकतम सीमा तय करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को बहुत व्यक्तिपरक बना देता है और निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर एक सार्वजनिक खरीद के माहौल में व्यवहारिक नहीं था।
- क्योंकि इस क्षेत्र में वहां केवल सीमित विक्रेता थे, जिसमें से एक विक्रेता ऑफलोड होने की प्रक्रिया में था, तो सूची में कांट-छांट करना और जीइआईआईएसएल को अनदेखा करना संभव नहीं था। इसके अलावा, कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां, वित्तीय और अन्य, प्रबंध परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के ध्यान में नहीं लाई गई थी।
- यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि अनुगामी अच्छे अधिप्राप्ति प्रक्रिया के बावजूद विक्रेता निष्पादन में विफल रहे, परंतु इतनी बड़ी परियोजनाओं में, इस प्रकार की परिस्थितियों में जाने से बचना पूर्ण रूप से संभव नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर इन तर्कों के प्रति देखना आवश्यक है कि:

- कम्पनी की सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका के अनुसार, पंजीकृत विक्रेताओं की सूची में विक्रेता को शामिल करने के पूर्व तकनीकी ज्ञान, उपकरणों, श्रम-शक्ति की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में पार्टियों की सक्षमता निर्धारित करने की आवश्यकता है यदि कम्पनी ने इसका अनुसरण किया होता, यह इस परिस्थिति से बच सकती थी।
- कम्पनी अपने विक्रेताओं की सूची के विस्तारण हेतु विश्व निविदाओं को आमंत्रित कर सकती थी।
- बिना किसी पृथक योग्यता प्रक्रिया के केवल परियोजना परामर्शदाता या कम्पनी के पूर्व अनुभव के आधार पर एमएसएल बनाने से आदेशों की पुनरावृत्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता आपूर्ति करने में विफल रहे या आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

इस प्रकार वित्तीय साख और विक्रेता द्वारा दायित्व पूरा करने की क्षमता पर विचार किए बिना दोषयुक्त अधिप्राप्ति/खरीद प्रक्रिया के कारण दुबारा खरीद आदेश दिए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.68¹ करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दो वर्ष से अधिक समय के बावजूद आदेशित सामग्री प्रतीक्षित थी।

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

11.7 मानित निर्यात का लाभ ना उठाने के कारण परिहार्य व्यय

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीइएल)/खनन लाइसेंस (एमएल), प्रि-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लॉक के तहत आने वाले योग्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम ऑपरेशन में खपत हेतु 'मानित निर्यात' के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से विदेशी व्यापार नीति हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल (एचएफएचएसडी) की खरीद में छूट देती है, यदि ऐसे एचएफएचएसडी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के द्वारा खरीदे गए हों। ऑयल और नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2006-13 के दौरान इसके योग्य क्षेत्रों में इनके पेट्रोलियम परिचालन हेतु बिना आईसीबी निविदा का सहारा लिए ₹ 326.75 का उत्पाद शुल्क का भुगतान करके एचएफएचएसडी खरीदे थे और उस सीमा तक मानित निर्यात लाभ उठाने में विफल रहे।

मार्च 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना पेट्रोलियम परिचालन के संबंध में उन क्षेत्रों में जहां 1 अप्रैल 1999 के बाद पीइएल/एमएल² जारी अथवा नवीनकृत हुए हैं और प्रि.एनईएलपी और एनईएलपी³ ब्लॉक में संचालन हेतु आवश्यक माल के आयात पर सीमाशुल्क कर के भुगतान में छूट देती है। विदेशी व्यापार नीति (2004-2009) 'मानित निर्यात' के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के विरुद्ध ऐसी वस्तुओं की खरीद पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट देती है। जबकि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 (प्रथम अनुसूची-अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई) इस प्रकार की माल पर लगे आधारभूत उत्पाद शुल्क भुगतान में छूट प्रदान करता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भुगतान किया जाना था एवं प्रतिदाय हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से एक मानित निर्यात लाभ (डीईबी) के रूप में दावा किया जाना था। या तो खरीददार या

¹ (₹ 33.46 करोड़ - (₹ 2.69 करोड़ + ₹ 0.09 करोड़)

² पीइएल/एमएल-पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस/खनन लाइसेंस

³ एनईएलपी-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति

आपूर्तिकार डी.जी.एफ.टी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिदाय का दावा कर सकता था। बाद में, मार्च 2012 से यहाँ तक की अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान में भी छूट दी गई थी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कम्पनी) पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में इसके पेट्रोलियम कार्यप्रणालियों के लिए हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल (एचएफएचएसडी) खरीदती रही है। जबकि पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पूरी तरह से डीईबी हेतु निर्वाच्य पीईएल/एमएल अथवा एनईएलपी क्षेत्र थे, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में दोनों योग्य एवं अयोग्य क्षेत्र शामिल होते हैं। इस प्रकार पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एचएफएचएसडी की सम्पूर्ण खरीद डीईबी के योग्य थी, जबकि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों का एक बड़ा भाग उसके योग्य था।

कम्पनी ने हालांकि 2006-09 के दौरान नामांकन आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रीय तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) से एचएफएचएसडी खरीदे थे एवं इसके पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के लिए ₹ 17.72 करोड़ के उत्पाद शुल्क पर एक परिहार्य व्यय किया था। पूर्वी तटों पर हालांकि एमएल क्षेत्र का 95.33 प्रतिशत एवं कम्पनी का सम्पूर्ण पीईएल क्षेत्र डीईबी के लिए योग्य था, इसने समान अवधि के दौरान एचएफएचएसडी की खरीद पर ₹ 169.91 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। जैस कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के योग्य एवं अयोग्य क्षेत्रों में एचएफएचएसडी की खपत के विभाजन हेतु पृथक भण्डारण सुविधाएं कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा पश्चिम अपतटीय में योग्य क्षेत्रों में, पूर्व निश्चित डीईबी परिमाणित नहीं कर सकी।

अगस्त 2009 में, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने कम्पनी को यह सूचित किया कि एचएफएचएसडी बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान किए खरीदे जा सकते थे एवं डीईबी का लाभ उठाया जा सकता था आईसीबी निविदा के द्वारा यदि यह विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत इन प्रावधानों के अंतर्गत एचएफएचएसडी की आपूर्ति हेतु आईओसीएल को प्रस्ताव दिया गया था। कम्पनी का कर परामर्शदाता भी इन प्रावधानों के अंतर्गत डीईबी की उपलब्धता की पुष्टि की (फरवरी/मार्च 2010)। मुम्बई हाई के लिए खनन पट्टा की पश्चिमी अपतट में स्थित है का अक्टूबर 2010 में सरकार द्वारा पुनः मंजूरी दी गई एवं इस प्रकार पश्चिमी अपतटों का अधिकतम क्षेत्र डीईबी के

लिए योग्य हो गया। मई 2010 में, कम्पनी ने पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए एचएफएचएसडी की खरीद के लिए एक आईसीबी टेंडर प्रारंभ करने एवं साथ-साथ पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए पृथक भण्डारण टैंक बनाने की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। किंतु कम्पनी ने आईओसीएल द्वारा डीईबी का लाभ उठाने के प्रावधानों की सूचना देने की दिनांक से दो वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात् अक्टूबर 2011 में केवल पूर्वी एवं पश्चिमी अपतटों के लिए संयुक्त आईसीबी निविदा आमन्त्रित किया।

अगस्त 2009 से अक्टूबर 2011 तक कम्पनी बिना आईसीबी निविदा का सहारा लिए पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए निरंतर एचएफएचएसडी खरीदती रही, और उपलब्ध डीईबी को छोड़कर ₹ 141.04 करोड़ का परिहार्य उत्पाद शुल्क का भुगतान किया।

अक्टूबर 2011 में प्रचलित आईसीबी निविदा के प्रति प्रस्ताव के नियंत्रण के उतर में, कम्पनी ने कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई। आपूर्तिकारों से जवाब कमी का एक सम्भव कारण यह था कि इसने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वापसी को दावाकृत करने का दायित्व आपूर्तिकारों पर डाला था शर्त पीएमटी ब्लॉक सहित अन्य द्वारा परिचालित ब्लॉक में प्रचालित प्रथा के विपरीत थी जहां कम्पनी को संयुक्त परिचालक के तौर पर मुख्य रूप से भाग लेने में रुचि थी, जिससे उत्पाद शुल्क की वापसी खरीदारों द्वारा दावाकृत थी।

इसके बाद, मार्च 2012 में, एचएफएचएसडी पर मूल उत्पाद शुल्क के साथ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट देकर उत्पाद शुल्क प्रावधानों में संशोधन किया गया था। कम्पनी ने हालांकि परिवर्तित प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया और यह कहते हुए कि उत्पाद शुल्कों की वापसी कम्पनी द्वारा दावाकृत की जायेगी, उत्पाद शुल्क सहित मूल्य पर आपूर्तिकार को एचएफएचएसडी के लिए उद्धरण करने के लिए विकल्प के साथ जुलाई और नवम्बर 2012 में क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों के लिए एक संशोधित आईसीबी निविदा जारी की।

सभी तीनों सार्वजनिक क्षेत्र ओएमसी ने उत्पाद शुल्क सहित मूल्य उद्धृत किए और कम्पनी ने अक्टूबर 2012 और अप्रैल 2013 क्रमशः में पूर्वी और पश्चिमी दोनों अपतटों के लिए ओएमसी पर आदेश दिए। हालांकि कम्पनी ने एचएफएचएसडी की खरीद के लिए

उत्पाद शुल्क सहित मूल्य का भूगतान किया था, अब तक (जनवरी 2014) तक डीजीएफटी से कोई भी प्रतिदाय की प्राप्ति नहीं हुई।

नवम्बर 2011 से मार्च 2013 तक, कम्पनी ने एचएफएचएसडी की खरीद पर उत्पाद शुल्क की ओर ₹ 167.99 करोड़ का परिहार्य व्यय किया और डीईबी का लाभ नहीं उठा सकी। इसके बाद, कम्पनी पूर्वी अपतटीय क्षेत्र ने दोबारा (जुलाई 2013) में एचएफएचएसडी के लिए आईसीबी निविदा आमंत्रित किया। ओएमसी ने बिना किसी उत्पाद शुल्क के इस निविदा में उद्धृत किया और कम्पनी ने (30 सितम्बर 2013) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर आदेश दिए।

इस प्रकार कम्पनी ने (2006-07 से 2012-13 के दौरान) पूर्वी अपतटों के लिए और (नवम्बर 2011 मार्च 2013) के दौरान पश्चिमी अपतटों के लिए इसके पेट्रोलियम परिचालन हेतु डीईबी उपलब्ध होते हुए भी ₹ 326.75 करोड़ का परिहार्य उत्पाद शुल्क का भूगतान करके ओएमसी से एचएफएचएसडी खरीदे।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2013) कहा कि:

- 2010 के पूर्व आईसीबी निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी क्योंकि प्रशासित दरों के तहत बिना उत्पाद शुल्क लगाए और निविदा की मानक नियम एवं शर्तों पर एचएफएचएसडी की आपूर्ति पर ओएमसी कभी सहमत नहीं हुए थे।
- अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में प्रशासित मूल्य कम थे और और इस प्रकार, किसी भी विदेशी बोली लगाने वाले की आईसीबी निविदा में भागीदारी की संभावना नहीं थी।
- डीईबी के तहत ईंधन की योग्यता के बारे में डीजीएफटी निर्णय के कारण दावों की मार्च 2011 से मई 2012 के बीच स्थागित कर दी गई है। इस वजह से, डीईबी का लाभ उठाने हेतु 15 मार्च 2011 से 17 मई 2012 तक कम्पनी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी।
- 2012 के आईसीबी निविदा के प्रति मार्च 2013 तक प्राप्त एचएफएचएसडी के परिमाणों के लिए डीजीएफटी से अब तक, कम्पनी के पूर्वी अपतट ने दावों की वापसी की प्राप्ति नहीं की थी क्योंकि डीजीएफटी परिपत्र (15 मार्च 2013) के

अनुसार, 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार जहां इस प्रकार की आपूर्तियों को आरंभ से ही उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त थी, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं थी।

निम्न को देखते हुए उत्तर युक्तियुक्त नहीं है:

- कम्पनी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अगस्त 2009 में आईओसीएल द्वारा सूचित किए जाने तक इसने 2011 से पूर्व आईसीबी निविदाओं को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि इसे डीईबी के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए कम्पनी ने ओएससी के साथ इस विकल्प का बिल्कुल भी अन्वेषण नहीं किया और इस प्रकार ओएमसी द्वारा बिना उत्पाद शुल्क लगाए एचएफएचएसडी की आपूर्ति पर सहमत न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान ओएमसी इन पार्टियों को उत्पाद शुल्क की वापसी हेतु वापसी के लिए अनुमत करते हुए दूसरी पार्टियों का एचएफएचएसडी की आपूर्ति करती रही (विशेषकर पीएमटीजेवी), भारत में एक मुख्य अन्वेषण एवं उत्पाद (ई एवं पी) प्रचालन होते हुए, कम्पनी की ओर से जागरूकता में कमी युक्त नहीं है, विशेषतः जब सीएजी की 2007* की रिपोर्ट सं. 11 प्रावधानों के तहत इसके उजागर की गई थी।
- यह तर्क कि किसी भी विदेशी बोलदाता ने प्रशासित कम दर उद्धृत नहीं किया है तर्कसंगत नहीं है, जैसे कि डीईबी का लाभ उठाने की आवश्यकता आईसीबी निविदा का आमंत्रण था और विदेशी बिडर से भागीदारी/अधिप्राप्ति नहीं थी। आईसीबी में बाद में कम्पनी द्वारा बोलियां आमंत्रित की गई थी (2012 में), कोई विदेशी बिडर की भागीदारी नहीं थी एवं फिर भी ओएमसी को डीईबी का लाभ उठाने के आदेश दिए गए।
- पूर्ण अवधि के दौरान (2006 से अब तक), योग्य प्रचालकों को उत्पाद शुल्क की वापसी सहज रूप से उपलब्ध थी। कम्पनी का यह तर्क कि डीजीएफटी के इस अवधि के दौरान उत्पाद शुल्कों की वापसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2011 से मई 2012 तक यह कोई कार्यवाही नहीं कर सकी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि अन्य ईएवपी प्रचालकों ने इस अवधि के दौरान छूट लाभ प्राप्त करने हेतु आईसीबी निविदा के तहत आदेश दिए थे। इसके अलावा, उद्धृत पेट्रोफेड कम्यूनिकेशन (नवम्बर 2011) ने स्वयं यह सुनिश्चित किया है

* संघ सरकार – (वाणिज्य) सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा 13.8.7

कि इस प्रकार की वापसी विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (एफ) के अनुसार उपलब्ध था।

- जवाब में कम्पनी द्वारा उद्धृत 15 मार्च 2013 का डीजी एफटी परिपत्र 17 मार्च 2012 को जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का एकमात्र स्पष्टीकरण था, जिसमें यह नियत था कि आईसीबी द्वारा खरीदे गये एचएफएचएसडी पर कोई उत्पाद शुल्क (मूल के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) उपभोग्य नहीं था। जैसे कि कम्पनी ने मार्च 2012 के बाद (जुलाई 2012 और नवम्बर 2012 में पूर्वी और पश्चिमी अपतटों के लिए क्रमशः) निविदाएं आमंत्रित की थी; सविदा प्रावधान कर अधिसूचना से उपयुक्त रूप से संरेखित होने चाहिए थे जो कि पहले ही मार्च 2012 को जारी किए गए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मार्च 2012 से प्रारंभ से ही उत्पाद शुल्क भुगतान नहीं था, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वापसी का तक डीजीएफटी द्वारा सम्मानित नहीं था।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2014 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतिक्रिया था (मार्च 2014)।

11.8 वसई ईस्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म के स्थान में परिवर्तन के कारण परिहार्य व्यय

वसई ईस्ट फील्ड में प्लेटफॉर्म प्रक्रिया में स्थान में परिवर्तन और परिणामस्वरूप परियोजना अवधि के बढ़ने के कारण, ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (कम्पनी) ने ₹ 79.48 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसमें शामिल है (i) अतिरिक्त सेवा कर के तत्त्व सहित ठेकेदार द्वारा संस्थापन के आस्थगन और त्वरण प्रयासों के कारण ₹ 55.85 करोड़ का भुगतान और (ii) संभालने के लिए सुविधाओं के अभाव के कारण गैस के फैल जाने से ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि को बनाए रखने के अलावा, परियोजना शुरू करने के लिए लंबित गैस उत्पादन को प्रारंभ करने हेतु ₹ 23.63 करोड़ की लागत पर अस्थायी पाइप लाइन बिछाना।

वसई ईस्ट फील्ड पश्चिमी तट में स्थित है। संपादित हाईड्रोकार्बन को काम में लाने के उद्देश्य से, कम्पनी ने सुविधाओं के संस्थापन द्वारा क्षेत्र को विकसित करने का योजना बनाई है। तदनुसार, वसई ईस्ट डेवलपमेंट (वीईडी) परियोजना के तहत बूस्टर कम्प्रेसर सह प्रोसेस प्लेटफार्म (बीसीपीए-2) के संस्थापन के लिए संवीदा 'एम/एस सैमसंग हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड (एसएचआई) और एम/एस लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी)' - संयुक्त रूप से ठेकेदार से संबोधित के सहायता संघ को जनवरी 2006 में अप्रैल 2008 तक निर्धारित

समापन के साथ दी गई है संविदा की शर्तों के अनुसार, एसएचआई और एलएंडटी को उनके द्वारा किए गए कार्य लिए पृथक भुगतान क्रमशः प्राप्य होंगे। कम्पनी द्वारा बिड पैकेज में उल्लेखित स्थान पर प्लेटफॉर्म का संस्थापन होना था। ठेकेदार ने फरवरी 2006 में विस्तृत पूर्व - अभियांत्रिकी कार्य प्रारंभ किया। तथापि, प्लेटफॉर्म का स्थान परिवर्तित करना पड़ा और जुलाई 2006 में कम्पनी द्वारा नया स्थान अनुमोदित किया गया। परियोजना वास्तव में जुलाई 2009 में पूर्ण हुआ। परियोजना के निष्पादन के दौरान, एसएचआई ने कम्पनी के अरोप्य कारणों से समय और अधिक लागत के दावे प्रस्तुत किए। कम्पनी ने दावों को विवादग्रस्त करते हुए ठेकेदार को (दिसम्बर 2009) इसके दावे बाहरी विशेषज्ञ समिति (आईसी)-वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु कम्पनी द्वारा निर्मित एक तंत्र, को प्रस्तुत करने की मांग की। ओईसी की सिफारिशों को मान लेने पर (दिसम्बर 2011), कम्पनी ने (सितम्बर 2012) में एसएचआई के ₹ 51.43 करोड़ के दावे का भुगतान किया। उन्हीं कारणों से एल एंड टी द्वारा अतिरिक्त सेवा कर का प्रस्तुत किए गए दावे के लिए (अक्टूबर 2012) में कम्पनी द्वारा ₹ 4.42 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- प्लेटफॉर्म का स्थान कम्पनी द्वारा निश्चित किया गया और बोली दस्तावेज में शामिल किया गया। जनवरी 2006 में परियोजना देने के पूर्व, बीसीपीए-2 प्लेटफॉर्म के प्रस्तावित स्थान के पास एक पृथक संविदा के तहत एक सबसे/समुद्री पाइपलाइन बिछाने की समवर्ती कार्यवाही थी। प्लेटफॉर्म का स्थान निश्चित करना एवं बोली दस्तावेज में शामिल करने हेतु कम्पनी द्वारा संचालित प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान, कम्पनी ने इंटरफेस पाइपलाइन पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार, परियोजना ठेकेदार का ऐसे स्थान पर कार्य के निष्पादन के लिए दी गई जिसके नियामक एक वर्तमान पाइपलाइन से अवरोधित थे। एक समीक्षा बैठक (22 मार्च 2006) के दौरान, एसएचआई ने कम्पनी को प्रस्तावित प्लेटफॉर्म के स्थान पर पाइपलाइन के कारण अवरोध की सूचना दी। कम्पनी के अनुमोदन पर, ठेकेदार ने एक वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया जो कि कम्पनी को स्वीकार्य था। इसने परियोजना को 3 से 4 महीने देरी हुई और काम को दो ऋतुओं तक स्थगित किया।

इस प्रकार एक वर्ष की देरी के बाद जुलाई 2009 में प्लेटफॉर्म चालू हुआ। स्थान परिवर्तन और परिणामस्वरूप परियोजना अवधि में बढ़ोतरी के कारण, कम्पनी ने एसएचआई को संस्थापन के स्थगितकरण और इसके द्वाराकिए गए त्वरण प्रयासों के लिए ₹ 51.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

- परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण, दूसरे कॉम्प्लेक्स पर विद्यमान सुविधा पर तेल संसाधित द्वारा वसई ईस्ट फील्ड से उत्पाद शुल्क करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया (मार्च 2008)। अन्य व्यवस्थाओं में खड़े पाइप का संस्थापन और 8 पाइपलाइन बिछाना शामिल थे। शीघ्र उत्पादन के लिए अस्थायी पाइपलाइन बिछाने पर ₹ 23.63 करोड़ का व्यय हुआ।
- केवल तरल पदार्थों की संभाल और प्रक्रमण हेतु अस्थायी सुविधाएं बनाई गई थी। जैसे कि वहां फील्ड में उत्पादित गैस की संभाल के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, सम्पूर्ण गैस (56.193 एमएमएससीएम) को फैलाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2008 से मार्च 2009 तक ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार परिवर्तित स्थान और अन्य सुविधाएं देने के कारण ₹ 79.48 करोड़ की और गैस फैल जाने के कारण ₹ 17.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

कम्पनी ने जवाब दिया (जनवरी 2013) कि:

- ठेकेदार के दावे ओईसी को भेजे गए और ठेकेदार को किया गया भुगतान कम्पनी द्वारा मुद्दों के समाधान के रूप में स्वीकार किया गया।
- सुविधाओं पर वैकल्पिक व्यवस्था कर वसई ईस्ट वैल्स में मई 2008 में तेल उत्पादन शुरू किया गया था। यह कम्पनी द्वारा एक अग्रसक्रिय कदम था, इसलिए, तथापि वीडडी परियोजना समापन में देरी थी, अस्थायी पाइपलाइन बिछाने में कम्पनी तेल के शीघ्र उत्पादन प्रारंभ करने में सहायता मिली।

यह उत्तर तर्क संगत नहीं है, जैसे कि

- प्लेटफॉर्म का स्थान निश्चित करने का दायित्व कम्पनी पर था। इंटरफेस पाइपलाइन की मौजूदगी पर विचार किया जाना चाहिए था जैसे कि पाइपलाइन स्वयं कम्पनी द्वारा संस्थापित की गई थी।
- कम्पनी पर आरोप्य देरी के कारण अस्थायी पाइपलाइन बिछाने और फील्ड में उत्पादित गैस के फैलने से अधिक व्यय हुआ है जो परिहार्य था।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2014 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।


11.9 गैस का परिहार्य फैलाव

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा नीलम प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस गैस कम्प्रेसर (पीजीसी) के अपग्रेड के कारण पीजीसी के अक्सर ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप, 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 16.54 मूल्य की 21.536 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएम) उच्च दबाव गैस का फैलाव हुआ। गैस की प्रतिप्राप्ति परियोजना को अंतिम रूप देने में भी कम्पनी द्वारा एक वर्ष की देरी हुई जिसके कारण 2011-12 के दौरान ₹ 18.37 करोड़ मूल्य के 23.725 एमएमएससीएम निम्न दबाव गैस का फैलाव हुआ। अतः वहां कुल ₹ 34.91 करोड़ मूल्य की परिहार्य गैस फैलाव हुआ।

नीलम एसेट ऑफ ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) तेल और गैस दोनों का उत्पादन करती है। कुओं से आ रहा तेल, पानी और गैस के मिश्रण को एक उच्च दबाव (एचपी) विभाजक को तेल, गैस और पानी के विभाजन के लिए भेजा जाता है। जबकि एचपी विभाजक से आ रही गैस को कम्प्रेसन हेतु प्रोसेस गैस कम्प्रेसर (पीजीसी) को भेजा जाता है, एचपी विभाजक से निकले तरल को निम्न दबाव (एलपी) विभाजक को भेजा जाता है। एलपी विभाजक से निकली गैस निम्न दबाव पर होने के कारण एलपी बूस्टर कम्प्रेसर द्वारा 6 से 8 केजी/सीएम के दबाव पर प्रोसेस गैस कम्प्रेसन को आगे उपयोग हेतु फीडिंग करने के लिए वर्धित किया जाना है।

एचपी फ्लेयर सिस्टम को प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। पीजीसी शटडाउन/ट्रिपिंग/प्रोसेस अपसेट आदि के कारण संपीड़न पीजीसी में कोई भी विघ्न, एचपी गैस के फैलाव का कारण होता है। एलपी फ्लेयर प्रणाली प्लेटफॉर्म के सामान्य परिचालन के लिए आवश्यक उत्पादित जल कन्डीशनर, गैस निर्जलन इकाईयों आदि से निम्न दबाव प्रोसेस गैस के फैलाव के लिए डिजाइन किया जाता है। एलपी बूस्टर कम्प्रेसर के अविद्यमान/गैर-कामकाज में एलपी गैस फैलनी होती है। चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

प्रक्रिया विवरण



स्रोत: कम्पनी द्वारा मुहैया किए गए

क. एचपी गैस का फैलाव: नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में 1990 से 2000 के दौरान तीन पीजीसी संस्थापित थे। कम्प्रेसर पुराने होने के कारण निम्न कार्य क्षमता पर कार्य कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप बार-बार ट्रिपिंग हो रही थी। कम्पनी के शून्य ट्रिप के दृष्टिकोण के कारण/अवलोकन के वर्ष 2010 में और वर्ष 2012 के दौरान पीजीसी के ट्रिपिंग की 30 और 37 घटनाएं थीं। 2011 में जैसे कि तीन में से एक पीजीसी को बंद करना पड़ा, ट्रिपिंग के मामले 80 तक बढ़ गए।

इन मशीनों के अपने कार्यकाल से 20 वर्ष या इससे अधिक पूरा करने के पश्चात् इनके प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी की एक नीति थी। पीजीसी 1999-2000 के दौरान संस्थापित किये गए थे। तथापि, 20 वर्ष कार्यपूर्ण करने से पूर्व ही पीजीसी खराब कार्य कर रहे थे। कम्पनी का एक बहु अनुशासनिक दल (एमडीटी) जुलाई 2008 में अन्य विषयों के साथ-साथ पीजीसी के तन्दरूस्ती संबंधी मामले पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक की। मशीनों के निष्पादन और उपलब्धता पर विचार करते हुए, एमडीटी ने (जुलाई 2008) मशीनों की गैर-उपलब्धता को घटाने और उनके निष्पादन को बढ़ाने के लिए प्रणालियों की तन्दरूस्ती की जांच की सिफारिश की। मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) द्वारा नवम्बर 2010 में अर्थात् एमडीटी की सिफारिश के दो वर्ष से अधिक के बाद, नीलम कॉम्प्लेक्स में तीन पीजीसी की तन्दरूस्ती जांच हुई। ओईएम की सलाह के अनुसार, कम्पनी को पीजीसी की नियंत्रण प्रणाली और प्रारंभिक प्रणाली का अपग्रेडेशन शीघ्रता से कराना था। तथापि ओईएम की सिफारिश के तीन वर्ष बाद भी (फरवरी 2014) कम्पनी को अभी तक

कार्य प्रदान करना था। 2010-13* के दौरान, पीजीसी के बार-बार ट्रिपिंग होने के कारण ₹ 16.54 करोड़ मूल्य की 21.536 एमएमएससीएम एचपी गैस फैल गई जो कि परिहार्य था।

कम्पनी ने कहा सितम्बर 2013 कि (i) ओईएम को नियंत्रण प्रणाली और प्रारंभिक प्रणाली के अपग्रेडेशन का कार्य प्रदान करने का कार्य चल रहा था, (ii) पीजीसी 'सी' को इंजन/एक्सेसरी के प्रतिस्थापन और कम्प्रेशर की मुख्य जांच फरवरी 2013 में पूर्ण हुई थी; (iii) पीजीसी 'बी' और 'ए' की वही जांच अक्टूबर 2013 और जुलाई 2014 में नियोजित हुई थी। इसमें यह भी कहा गया कि तीनों पीजीसी में कूलर की मरम्मत का प्रथम चरण 2013-14 में नियोजित हुआ था।

जवाब प्रत्यायक नहीं है क्योंकि एमडीटी की जुलाई 2008 की सिफारिश पीजीसी की स्वास्थ्य जांच करने के लिए प्रत्युत्तर में कम्पनी ने स्वास्थ्य जांच करने के लिए दो वर्ष से अधिक का समय लिए। स्वास्थ्य जांच के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नियंत्रक प्रणाली और प्रारंभिक प्रणाली के अपग्रेड करते हेतु (फरवरी 2014) ओईएम को कार्य अभी भी सौंपना था। इसी बीच परिहार्य गैस का फैलाव जारी रहा।

ख. एलपी गैस फैलाव: नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध एलपी बूस्टर कम्प्रेसर, 1994 में चालू किए गए, तब फील्ड के परिकल्पित उत्पादन के मानदंड के आधार पर डिजाइन किया गया था। तथापि, फील्ड के वास्तविक उत्पादन में अपेक्षित से गिरावट आई और इस प्रकार एलपी गैस की मात्रा घटी। एलपी बूस्टर कम्प्रेसर/संपीडक कम इनपुट मात्रा और निम्न आणविक वजन गैस से परिचालित नहीं हो सका अतः एलपी विभाजक से छोड़ी गई गैस फैल रही थी। नीलम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स से एलपी गैस के फैलाव को घटाने हेतु कम्पनी ने 2005-06 में फ्लेर गैस वसूली परियोजना (एफजीआरपी) की अवधारणा की थी जहां इसने मजबूत संपीडक की संस्थापना का निर्णय लिया था। कम्पनी ने अन्य प्रक्रिया संपीडक अर्थात् एसेट में हीरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स से मौजूदा कम्प्रेसर को मजबूत कम्प्रेसर के प्रतिस्थापन का निर्णय लिया है। सेपम ट्राईयून (एसटी) द्वारा (नवम्बर 2006) में तैयार बोली पैकेज और आरेखों के आधार पर कम्पनी ने (अप्रैल 2007)

* एमडीटी सलाह पर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु दो वर्ष का समय मानते हुए

एफजीआरपी के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया था। जैसे कि केवल एक बिड की प्राप्ति हुई कम्पनी की कार्यकारी खरीद समिति (ईपीसी) ने पुनः निविदा के (फरवरी 2008) निर्देश दिए। कम्पनी को इंजीनियर इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा (मार्च 2008) कार्यक्षेत्र समीक्षा की प्राप्ति हुई और पुनः निविदा के बाद मार्च 2010 द्वारा निर्धारित समापन के साथ किलोस्कर न्यूमैटिक कम्पनी का ठेके देने की अधिसूचना दी। एफजीआरपी तथापि मार्च 2012 में नीलम में और मई 2012 में हीरा कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुआ।

एफजीआरपी मूल रूप से अप्रैल 2011 में समापन हेतु मई 2008 में अनुमोदित नीलम हीरा कॉम्प्लेक्स के टर्नअराउन्ड योजना का भाग था। यह विचार करते हुए कि 2006 में नीलम-हीरा टर्नअराउन्ड योजना शुरूआती स्तर पर है कम्पनी ने परियोजना को फास्टट्रेक करना और जून 2008 तक समापन करना आवश्यक समझा। जबकि बिड पैकेज और लागत अनुमान एसटी द्वारा नवम्बर 2006 में तैयार किए गए थे, एनआईटी छह महीने के अंतराल के बाद अप्रैल 2007 में जारी किया गया। सितम्बर 2007 में नए निविदा आमंत्रित की गई और टीसी ने समझौता वार्ता अक्टूबर 2007 में की। संशोधित मूल्य की प्राप्ति (नवम्बर 2007) के बाद, टीसी ने ईपीसी को दो महीने के बाद (जनवरी 2008) पुनः निविदा हेतु अपने परामर्श प्रस्तुत किए। ईपीसी के (फरवरी 2008) पुनः निविदा हेतु मान जाने के बाद फरवरी 2010 की तय योजना के प्रति सितम्बर 2009 में नई निविदाएं आमंत्रित की गईं। नई निविदाके आमंत्रण में देरी ने एनओए को जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक और निर्धारित समापन को अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2011 तक विलंबित किया। यह समय-सारणी भी पूर्ण नहीं हुई और जून 2008 में पूर्ण होने के लिए परिकल्पित एफजीआरपी अंततः मार्च-मई 2012 में पूर्ण हुआ। निविदा को अंतिम रूप देने में एक वर्ष की देरी के परिणामस्वरूप ₹ 18.37 करोड़* मूल्य की गैस का फेलाव हुआ।

कम्पनी ने (सितम्बर 2013) कारणों जैसे मूल्य-संबंधी बातचीत, पुनः निविदा से बचने हेतु विचार विमर्श, आईआरआर की गणना और स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) लाभ की विवरण में देरी की व्याख्या करने के दौरान कहा कि यह अपने आप में एक अलग

* 2011-12 के दौरान न 23.74 एमएमएससीएमडी गैस फेलाव को ध्यान में रखते हुए।

प्रक्रिया थी और अंत में इसमें अतिरिक्त समय लगा। इसने यह भी कहा कि एनआईटी के जारी करने से पूर्व, यह आशंकाएं थी कि तेल भरे स्कू कम्प्रेसर की तुलना में हाईब्रीड स्कू कम्प्रेसर एक बेहतर विकल्प होगा। मामला एम/एस हाइबन यूएसए (जुलाई 2009) को भेजा गया, जिसने चयनित कम्प्रेसर की उपयुक्तता को सुनिश्चित (अगस्त 2009) किया।

प्रशासित अनुमोदन, वित्तीय मंजूरी और परियोजना समापन में देरी के तहत, यह उत्तर निविदा के प्रक्रिया में देरी का कोई वैध और स्वीकार्य व्याख्या नहीं देता। परियोजना जोकि जून 2008 में निर्धारित समाप्त के लिए 2005-06 में नियोजित हुई थी, कम्पनी के अनावश्यक रूप से विलंबित करने के पश्चात् मार्च-मई 2012 में पूर्णहुई। इसके बाद, कम्पनी के पास हाईब्रीड स्कू कम्प्रेसर का विकल्प जुलाई 2009 में आया, जबकि प्रशासनिक अनुमोदन जून 2009 में प्रदान किया गया और इसने स्कू टाइप कम्प्रेसर का उपयोग करने का निर्णय लिया जोकि आरंभ से ही हो रहे विलम्ब को उचित सिद्ध नहीं करता इसी दौरान एफजीआरपी को अंतिम रूप देने में विलम्ब और प्रोसेस गैस कम्प्रेसर में ट्रिपिंग के कारण को ₹ 34.91 करोड़ की 45.261 एमएमएससीएम गैस की हानि हुई, जो कि परिहार्य था।

मामला मंत्रालय को (अक्टूबर 2013) में सूचित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (मार्च 2014)।

11.10 आवश्यक क्षमता के अलावा रिग किराये पर लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 7,000 मीटर तक गहरे अन्वेषणात्मक कुएं की खुदाई हेतु उच्च क्षमता रिग किराये पर लिये और 4,525 मीटर से 4,817 मीटर तक की गहराई वाले कुएं की खुदाई में लगाए जो कि निम्न क्षमता वाले रिग से कम लागत में खुदवाएं जा सकते थे। इसके परिणामस्वरूप अधिक किराया लागत के कारण ₹ 19.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विनिर्देशन के आधार पर टाइप-II से टाइप-IV के तहत वर्गीकृत तटवर्ती खुदाई हेतु आठ खुदाई रिग भाड़े पर लेने के लिए (मई 2007) आयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड निविदा आमंत्रित की थी। एक टाइप-III रिग 6,000 मीटर की गहराई तक उच्च

कोण, बहुपक्षीय और साइट-ट्रैकिंग कुएं तक की खुदाई की क्षमता और टाइप-IV रिग 7,000 मीटर की गहराई तक खुदाई की क्षमता का था।

कम्पनी की निष्पादन समिति (ईसी) ने (अगस्त 2006) टाइप-IV अर्थात 'शिव-50', उस उद्देश्य हेतु भाड़े पर लेने के लिए अनुमोदन दिया। जैसे कि वह रिग और गहरे अन्वेषणात्मक कुएं खोदने (7,000 मीटर तक) के लिए सक्षम थे, इनका भाड़ा शुल्क (₹ 15.30 लाख/दिन) टाइप-III रिग (₹ 10.62 लाख/दिन) की तुलना में अधिक था। तथापि, भाड़े पर लेने के बाद कम्पनी ने इनको 4,525 मीटर से 4,817 मीटर तक के कुएं खोदने के कार्य में लगाया। इतनी गहराई के कुएं टाइप-III रिग द्वारा कम लागत पर खोदे जा सकते थे। इस प्रकार टाइप-III रिग की बजाय टाइप-IV रिग का उपयोग खुदाई हेतु करने के परिणामस्वरूप अंतरीय लागत होने के कारण ₹ 19.10 करोड़ का परिहार्य आंतरिक व्यय हुआ।

कम्पनी ने उत्तर दिया कि (जनवरी 2014) एक टाइप-IV रिग 'शिव-50' को गहरी सीमाओं में कुएं खोजने के उद्देश्य से भाड़े पर लिय गया था और कुएं गहराई की सीमा 4,500 मीटर से 5,200 मीटर तक थी। बहुत से कुएं 4,500 मीटर से 5,200 मीटर तक की गहराई में उच्च टॉर्क/उच्च ड्रैग की आवश्यकता के साथ खोदे जाने प्रस्तावित थे। यह दावा किया गया कि केवल टाइप-IV रिग न्यूनतम जटिलता के साथ इस प्रकार कुओं को सुचारू रूप से खोदने में सक्षम होंगे और यह स्वीकार किया कि भाड़े पर लिए गए टाइप-IV रिग को इन स्थानों पर ड्रिल साइट कार्यों के लिए भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्यरत नहीं किया जा सका और अतः निष्क्रियता से बचने के लिए, रिग को जटिल बनावट के विकृत कुओं की खुदाई में लगाया गया।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि टाइप-IV रिग को किराये पर लेने का ईसी का अनुमोदन कम्पनी के खुदाई तकनीकी विभाग द्वारा मई 2007 में दिये गए मांग-पत्र की विशेष आवश्यकताओं के विरुद्ध था। मांग-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टाइप-III रिग 6,000 मीटर तक की गहराई के उच्च कोण और पट/बहुपक्षीय/साइट ट्रैक कुएं खुदाई हेतु आवश्यक थे और टाइप-IV रिग 7,000 मीटर तक की गहराई हेतु अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई हेतु आवश्यक थे। कम्पनी ने रिग के

कार्यरत होने के लिए उपयुक्त स्थान न होने के बावजूद टाइप-IV रिग किराये पर लिए और बाद में निष्क्रियता से बचने हेतु कहीं और उपयोग में लाए गए।

इस प्रकार आवश्यकता से उच्चतर क्षमता के रिग को किराये पर लेने के कारण उन्हें उस स्थान पर उपयोग में लाया गया जहां निम्न क्षमता के रिग से खुदाई की जा सकती थी, इसके परिणामस्वरूप, दो प्रकार के रिग किराये पर लेने की अंतरीय लागत होने के कारण ₹ 19.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में सूचित किया गया; उत्तर अपेक्षित था (मार्च 2014)।